न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 04/2014 (राजस्व अपील)
RCMS NO : 2014/00048

अनवान

1. श्री किशनलाल पिता लाला लौहार, निवासी आवरड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।

–अपीलार्थी/अपीलान्ट

बनाम

1. श्री सुखलाल पिता लाल लौहार, निवासी– मकान नम्बर 114, दीप सदन, ई ब्लॉक, आदर्श नगर, कालका माता रोड़, पहाड़ा, उदयपुर।
2. श्री भंवरलाल पिता गोविन्दा जी मेघवाल, निवासी– गणेशपुरा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।
3. सरकार जरियें तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर।
4. श्रीमती हमेरी बाई पिता लालूराम लौहार, निवासी– आवरड़ा, हाल निवासी कंथारिया, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री नरेन्द्र सोनी, अधिवक्ता अपीलार्थी/अपीलान्ट।
2. श्री रोशनलाल जैन, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2
4. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील विरूद्ध प्रकरण संख्या 300/13 न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल आदेश दिनांक 17.2.14

* निर्णय *

दिनांक– 26-07-2017

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार झाड़ोल प्रकरण संख्या 300/13 निर्णय दिनांक 17.02.2014 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव आवरड़ा, पटवार हल्का गोराणा, तहसील झाड़ोल मे आराजी संख्या 204 रकबा 0.2300हे., 205 रकबा 0.0600हे., 213 रकबा 0.1600हे. कुल किता 3 रकबा 0.4500हे. भूमि स्थित हैं, जिस भूमि पर अपीलान्ट बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा हैं। उक्त भूमि के संबंध मे एक वाद अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 के विरूद्ध सहायक जिला कलक्टर, झाड़ोल मे घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अंतर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. के तहत प्रस्तुत कर रखा है, जो विचाराधीन हैं। भूमि का अपीलान्ट खातेदार काश्तकार है। लेकिन भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते मे गलत अंकित रह गई है, इसके लिये अपीलान्ट ने घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद दायर कर रखा है। इसी प्रकार अन्य भूमि के साथ उक्त भूमि के संबंध मे रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने भी

एक वाद घोषणा एवं बटवाडे का सहायक कलक्टर झाड़ोल के यहां पर प्रस्तुत कर रखा है, जो विचाराधीन होकर उक्त भूमि के संबंध मे विवाद चला आ रहा है। बमामले सक्षम राजस्व न्यायालय मे लंबित होकर विचाराधीन है, लेकिन उक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक नुमायशी विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष मे बना लिया, जबकि भूमि पर कब्जा काश्त अपीलान्ट का ही चला आ रहा हैं तथा उक्त नुमायशी विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने भूमि अपने नाम पर कराने हेतु नामान्तरकरण कराने हेतु आमदा होने पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम पर नामान्तरण नही खालने बाबत आवेदन किया एवं भूमि के संबंध मे सक्षम न्यायालय मे वाद विचाराधीन होने व भूमि विवादित होने के बावजूद बिना सुनवाई का अवसर दिये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष मे नामान्तकरण खोलने बाबत आदेश पारित कर दिया, जो न्याय एवं विधि के सिद्धान्तो के विपरित होकर बिना क्षेत्राधिकार के हैं। राजस्थान लेण्ड़ रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानो के अनुसार यदि कोई मामला विवादित हो सक्षम न्यायालय मे विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति मे मामले का या तो सक्षम न्यायालय मे निर्णय हेतु भेज दिया जाना चाहिये अथवा मामले का अंतिम तौर पर निपटारा न होने तक नामान्तरण को विवादित मानते हुए किसी भी हक मे नामान्तरण नही खोलने बाबत आदेश पारित किया जाना चाहिये। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जावे एवं जब तक सक्षम न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरणों का अंतिम तौर पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक मामला विवादित मानते हुए किसी के भी हक मे नामान्तरकरण नही खोले जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल जैन एवं विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल चोरड़िया द्वारा वकालात नामा प्रस्तुत कर जवाब हेतु समय चाहा गया। प्रकरण मे बार बार विपक्षीगण को जवाब हेतु अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब अप्राप्त होने से विपक्षागण की ओर से प्रकरण मे जवाब बंद किया गया। प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल से प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 300/13 मंगवायी जाकर बहस हेतु तिथि निर्धारित की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस प्रारंभ करते हुए अपीलान्ट/प्रार्थी अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि गांव आवरड़ा, पटवार हल्का गोराणा, तहसील झाड़ोल मे आराजी संख्या 204 रकबा 0.2300हे., 205 रकबा 0.0600हे., 213 रकबा 0.1600हे. कुल किता 3 रकबा 0.4500हे. भूमि के संबंध मे एक वाद अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 के विरूद्ध सहायक जिला कलक्टर झाड़ोल मे घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अंतर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. के तहत प्रस्तुत कर रखा है। इसी प्रकार अन्य भूमि के साथ उक्त भूमि के संबंध मे रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने भी एक वाद घोषणा एवं बटवाडे का सहायक कलक्टर झाड़ोल के यहां पर प्रस्तुत कर रखा है, जो विचाराधीन हैं। सक्षम राजस्व न्यायालय मे वाद लम्बित होने के बावजूद उक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक नुमायशी विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष मे बना रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने भूमि अपने नाम पर कराने हेतु नामान्तरकरण कराने हेतु आमदा होने पर

अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम पर नामान्तरण नही खालने बाबत आवेदन किया। सक्षम न्यायालय मे वाद विचाराधीन होने व भूमि विवादित होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष मे नामान्तकरण खोलने बाबत आदेश पारित कर दिया, जो न्याय एवं विधि के सिद्धान्तो के विपरित होकर बिना क्षेत्राधिकार के हैं, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमाया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कियेः—

आर.आर.टी 2001(2) पृष्ठ संख्या 1236

बहस मे भाग लेते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि पटवारी हल्का गोदाना द्वारा दिनांक 19.07.2013 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा ग्राम आवरड़ा की 204 रकबा 0.2300हे., 205 रकबा 0.0600हे., 213 रकबा 0.1600हे. कुल किता 3 रकबा 0.4500हे. भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2013 को विपक्षी संख्या 2 को विक्रय किया, जिसका नामान्तरकरण दिनांक 19.06.2013 को दर्ज करने के बाद उसी दिनांक को विपक्षी संख्या 4 एवं अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण को रोकने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया एवं साथ मे न्यायालय सहायक कलक्टर झाड़ोल मे विचाराधीन वाद की छायाप्रति भी प्रस्तुत की। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार 204 रकबा 0.2300हे., 205 रकबा 0.0600हे. मौरूसी जायदाद न होकर विपक्षी संख्या 1 की क्रशुदा सम्पत्ति होना बताया एवं आराजी संख्या 213 रकबा 0.1600हे. भूमि मौरूसी सम्पत्ति होना बताया, जिसका आपसी सहमति से विभाजन होकर विपक्षी संख्या 1 श्री सुखलाल के नाम खातेदारी हक से दर्ज हुआ। उक्त प्रकरण मे किसी भी न्यायालय द्वारा स्थगन न होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजीयात का राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो नियमानुसार है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे एवं उक्त नामान्तरकरण को बहाल रखा जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि प्रकरण ग्राम आवरड़ा की आराजी संख्या 204 रकबा 0.2300हे., 205 रकबा 0.0600हे., 213 रकबा 0.1600हे. कुल किता 3 रकबा 0.4500हे. के संबंध मे नामान्तरकरण खोले जाने बाबत् अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल के प्रकरण संख्या 300/13 निर्णय दिनांक 17.02.2014 से संबंधित हैं। विपक्षी संख्या 1 श्री सुखलाल पिता लाल लौहार द्वारा उक्त आराजी विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2013 द्वारा विपक्षी संख्या 2 श्री भंवरलाल पिता गोविन्दा जी मेघवाल को विक्रय करने से उसका नामान्तरकरण दिनांक 19.06.2013 को दर्ज करने के बाद उसी दिनांक को विपक्षी संख्या 4 श्रीमती हमेरी बाई पिता लालूराम लौहार एवं अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण को रोकने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया एवं साथ मे न्यायालय सहायक कलक्टर झाड़ोल मे विचाराधीन वाद की छायाप्रति भी प्रस्तुत की। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार 204 रकबा 0.2300हे., 205 रकबा 0.0600हे. मौरूसी जायदाद न होकर विपक्षी संख्या 1 की क्रशुदा सम्पत्ति होना बताया एवं

आराजी संख्या 213 रकबा 0.1600हे. भूमि मौरूसी सम्पत्ति होना बताया, जिसका आपसी सहमति से विभाजन होकर विपक्षी संख्या 1 श्री सुखलाल के नाम खातेदारी हक से दर्ज हुआ। उक्त प्रकरण मे किसी भी न्यायालय द्वारा स्थगन न होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजीयात का राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रकरण मे यह तथ्य तो स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व न्यायालय मे वाद विचाराधीन होने के तथ्य प्रस्तुत कर दिये थे, जिसका उल्लेख अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के फर्द अहकाम पर उपलब्ध है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए स्थगन न होने का तथ्य अंकित करते हुए नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश पारित किये है, जो कि नियमानुसार नहीं है। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण मे चस्पा होते हैं। उक्त न्यायिक दृष्टान्त मे यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जब दावा विचाराधीन चल रहा हो तो नामान्तरकरण की समस्त कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिये एवं नामान्तरकरण तभी खोला जाना चाहिय, जब दावे के माध्यम से दोनो पक्षकारो के अधिकार तय हो जावें। ऐसी स्थिति मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुसार प्रतीत नही होती हैं।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा प्रकरण संख्या 300/13 मे पारित निर्णय दिनांक 17.02.2014 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये परीक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्षों की पुनः साक्ष्य सबूत प्राप्त कर एवं सुनकर सक्षम न्यायालय मे विचाराधीन वाद मे पारित निर्णय पश्चात् दोनो पक्षकारों के अधिकार तय हो जाने के उपरान्त विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर

उदयपुर